

उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-1
संख्या- 561 / 2023 / प्र0स0-74 / एक-1-2023-रा0-1
लखनऊ: दिनांक 20 जून, 2023

अधिसूचना

जिलाधिकारी, लखनऊ के पत्र संख्या-242/डीएलआरसी/विनिमय/2020, दिनांक-25.02.2021 व पत्र संख्या-164/डीएलआरसी/विनिमय/2022, दिनांक-04.06.2022 के क्रम में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा-2 सपठित धारा 101 की उपधारा-2 के परन्तुक में प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल ग्राम सरसवां, अरदौनामऊ व अहमामऊ, तहसील सरोजनीनगर व जनपद लखनऊ में इन्टीरग्रेटेड टाउनशिप के विकास हेतु मेसर्स एम्मार एम0जी0एफ0 एवं उनकी आठ कान्सोर्सियम कम्पनियों के नाम दर्ज भूमि से सुरक्षित श्रेणी की भूमि, जिनका विवरण अधोलिखित तालिका-1 से 8 में दिया गया है, के विनिमय की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

तालिका-1

ग्राम का नाम	संस्था से प्राप्त भूमि का विवरण				सार्वजनिक उपयोग की दी जाने वाली भूमि का विवरण				
	गाटा संख्या	विनिमय में प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे0)	खातेदार का नाम	सर्किल दर/बाजार मूल्य अनुसार भूमि का मूल्य	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	विनिमय में प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे0)	भूमि की श्रेणी	सर्किल दर/बाजार मूल्य अनुसार भूमि का मूल्य
सरसवां	307	0.150	नाम प्रमोटर्स प्रा0 लि0	3,15,000	सरसवां	376	0.026	चकरोड	3,15,000
						207सं	0.015	चकरोड	
						380	0.109	मुख्य मार्ग	
योग	1 किता	0.150		3,15,000		3 किता	0.150		3,15,000

तालिका-2

ग्राम का नाम	संस्था से प्राप्त भूमि का विवरण				सार्वजनिक उपयोग की दी जाने वाली भूमि का विवरण				
	गाटा संख्या	विनिमय में प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे0)	खातेदार का नाम	सर्किल दर/बाजार मूल्य अनुसार भूमि का मूल्य	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	विनिमय में प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे0)	भूमि की श्रेणी	सर्किल दर/बाजार मूल्य अनुसार भूमि का मूल्य
सरसवां	23	0.457 हे0	कार्तिके विल्डवेल प्रा0 लि0	91,85,700	सरसवां	224	0.081	मुख्यमार्ग	86,93,700
						316	0.169	मुख्य मार्ग	
						342	0.047	चकरोड	
						284सं	0.037	मुख्य मार्ग	

					अरदौनामऊ	5	0.117	राज्य सरकार	
						22	0.006	राज्य सरकार	
योग	एक किता	0.457 हे०		91,85,700		6 किता	0.457		86,93,700

तालिका-3

ग्राम का नाम	संस्था से प्राप्त भूमि का विवरण				सार्वजनिक उपयोग की दी जाने वाली भूमि का विवरण				
	गाटा संख्या	विनिमय में प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे०)	खातेदार का नाम	सर्किल दर/बाजार मूल्य अनुसार भूमि का मूल्य	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	विनिमय में प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे०)	भूमि की श्रेणी	सर्किल दर/बाजार मूल्य अनुसार भूमि का मूल्य
सरसवां	11सं	0.3855	एडजेडई प्रापटीज प्रा० लि०	77,48,550	सरसवां	203सं	0.355	मुख्य मार्ग	77,38,500
						279	0.030	चकरोड	
योग	एक किता	0.3855		77,48,550		दो किता	0.385		77,38,500

तालिका-4

ग्राम का नाम	संस्था से प्राप्त भूमि का विवरण				सार्वजनिक उपयोग की दी जाने वाली भूमि का विवरण				
	गाटा संख्या	विनिमय में प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे०)	खातेदार का नाम	सर्किल दर/बाजार मूल्य अनुसार भूमि का मूल्य	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	विनिमय में प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे०)	भूमि की श्रेणी	सर्किल दर/बाजार मूल्य अनुसार भूमि का मूल्य
सरसवां	310सं	0.228	एक्रान बिल्डमार्ट प्रा० लि०	45,82,800	सरसवां	355	0.066	चकरोड	45,82,800
						360	0.055	चकरोड	
						345	0.107	मुख्य मार्ग	
योग	1 किता	0.228		45,82,800		3 किता	0.228		45,82,800

तालिका-5

संस्था से प्राप्त भूमि का विवरण					सार्वजनिक उपयोग की दी जाने वाली भूमि का विवरण				
ग्राम का नाम	गाटा संख्या	विनिमय में प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे०)	खातेदार का नाम	सर्किल दर/बाजार मूल्य अनुसार भूमि का मूल्य	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	विनिमय में प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे०)	भूमि की श्रेणी	सर्किल दर/बाजार मूल्य अनुसार भूमि का मूल्य
सरसवां	15	1.033	एचेट्स बिल्डकॉन प्रा० लि०	2,07,63,300	सरसवां	366	0.391	मुख्य मार्ग	2,02,35,200
						248	0.202	मुख्य मार्ग	
						195	0.054	चकरोड	
						262सं	0.044	चकरोड	
						234	0.075	चकरोड	
						329	0.114	चकरोड	
						315सं	0.025	चकरोड	
					अरदौनामऊ	7	0.025	राज्य सरकार	
						19	0.051	राज्य सरकार	
						34	0.051	राज्य सरकार	
योग	1 किता	1.033		2,07,63,300		10 किता	1.032		2,02,35,200

तालिका-6

संस्था से प्राप्त भूमि का विवरण					सार्वजनिक उपयोग की दी जाने वाली भूमि का विवरण				
ग्राम का नाम	गाटा संख्या	विनिमय में प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे०)	खातेदार का नाम	सर्किल दर/बाजार मूल्य अनुसार भूमि का मूल्य	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	विनिमय में प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे०)	भूमि की श्रेणी	सर्किल दर/बाजार मूल्य अनुसार भूमि का मूल्य
सरसवा	2ठ	0.091	परपिचुअल रियल्टर्स प्रा० लि०	13,10,400	सरसवा	313सं	0.015	चकरोड	13,10,400
						35	0.019	चकरोड	
					अरदौनामऊ	29	0.057	राज्य सरकार	
योग	1 किता	0.091		13,10,400		3 किता	0.091		13,10,400

तालिका-7

संस्था से प्राप्त भूमि का विवरण					सार्वजनिक उपयोग की दी जाने वाली भूमि का विवरण				
ग्राम का नाम	गाटा संख्या	विनिमय में प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे०)	खातेदार का नाम	सर्किल दर/बाजार मूल्य अनुसार भूमि का मूल्य	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	विनिमय में प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे०)	भूमि की श्रेणी	सर्किल दर/बाजार मूल्य अनुसार भूमि का मूल्य
सरसवा	11सं	0.3855	संस्कार बिल्डवेल प्रा० लि०	73,65,600	सरसवा	421	0.190	मुख्यमार्ग	73,58,400
						254सं	0.030	चकरोड	
	16	0.126							
					अरदौनामऊ	43	0.291	आबादी	
योग	2 किता	0.5115		73,65,600		3 किता	0.511		73,58,400

तालिका-8

संस्था से प्राप्त भूमि का विवरण					सार्वजनिक उपयोग की दी जाने वाली भूमि का विवरण				
ग्राम का नाम	गाटा संख्या	विनिमय में प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे०)	खातेदार का नाम	सर्किल दर/बाजार मूल्य अनुसार भूमि का मूल्य	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	विनिमय में प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे०)	भूमि की श्रेणी	सर्किल दर/बाजार मूल्य अनुसार भूमि का मूल्य
सरसवा	273	0.107	पैन्सी बिल्डकॉन प्रा० लि०	21,50,700	सरसवा	386	0.044	चकरोड	21,50,700
						395सं	0.013	चकरोड	
						371सं	0.030	चकरोड	
						55सं	0.02	चकरोड	
योग	1 किता	0.107		21,50,700		4 किता	0.107		21,50,700

- (1) उक्त भूमियों का श्रेणी परिवर्तन/विनिमय अपरिहार्य परिस्थितियों में परियोजना की भूमि के मध्य आ जाने के कारण जनहित के दृष्टिगत इन्टीग्रेटेड टाउनशिप के विकास हेतु किया जा रहा है।
- (2) संस्था से ग्राम सभा के आरक्षित श्रेणी की भूमियों के श्रेणी परिवर्तन हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 25 प्रतिशत धनराशि शुल्क

निर्धारित लेखा-शीर्षक "0029-भूराजस्व-800-अन्य प्राप्तियों-08-मालिकाना राजस्व-0806-प्रकीर्ण प्राप्तियों" के नाम जमा कराया जायेगा।

- (3) कलेक्टर द्वारा ग्राम सरसवां व अरदौनामऊ, तहसील सरोजनीनगर, जनपद लखनऊ स्थित विनिमय के माध्यम से ग्राम सभा व राज्य सरकार को प्राप्त आठ संस्थाओं की भूमि को चकरोड, मुख्यमार्ग, राज्य सरकार व आबादी के रूप में दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ताकि उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा आदि न हो सके।
- (4) विनिमय में संस्था से प्राप्त होने वाली भूमि पर संस्था द्वारा उचित मार्ग/चकमार्ग का निर्माण कराया जायेगा, जिससे स्थानीय निवासीगण का अवागमन प्रभावित न हो।
- (5) प्रश्नगत विनिमय में ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण को जितनी भूमि जिस संस्था के नाम दर्ज भूमि में से प्राप्त हो रही है, ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण की उतनी भूमि विनिमय में उसी संस्था के नाम ही दर्ज की जाएगी।
- (6) लोक प्रयोजन की भूमि का श्रेणी परिवर्तन तथा विनिमय का आदेश प्राप्त होने पर कलेक्टर द्वारा अधिकार अभिलेख (खतौनी) और मानचित्र में तदनुसार संशोधन की कार्यवाही 15 दिन में पूर्ण किया जायेगा।
- (7) कलेक्टर कृत कार्यवाही की पूर्ण सूचना शासन तथा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद को 30 दिन में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- (8) कलेक्टर द्वारा स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के पत्र संख्या-290/94-स्टा0नि0-2-2023-700(25)/2023 दिनांक-03.03.2023 (छायाप्रति संलग्न) में उल्लिखित व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

/

(राम रतन)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
2. आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ।
4. मे० ईमार एमजीएफ लैण्ड लिमिटेड, (वर्तमान नाम मे० ईमार इण्डिया लिमिटेड) पता-गोमती ग्रीन्स, सेक्टर-7, अमर शहीद पथ, नियर सूडा ऑफिस, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-226010
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

mnoji's

(मनोज कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव।